



महात्मा ज्योतिबा फुले
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

M.S.W.2ndSEM.

SOCIAL SCIENCE CONCEPTS FOR SOCIAL WORK - II

UNIT -II

TOPIC :REGIONALISM:(क्षेत्रवाद)

BY

DR.RUPESH KUMAR SINGH

ASSISTANT PROFESSOR

DEPARTMENT OF SOCIAL WORK,

J.S HINDU P.G.COLLEGE AMROHA

क्षेत्रवाद की परिभाषा।



- व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है, जहाँ अपना जीवन व्यतीत करता है, उस स्थान के प्रति उसका लगाव होना स्वाभाविक होता है वह अपने क्षेत्र-विशेष को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से सशक्त एवं उन्नत बनाने के लिए प्रयासरत रहता है, लेकिन जब यह भावना और लगाव अपने ही क्षेत्र-विशेष तक सिमटकर अत्यन्त संकीर्ण रूप धारण कर लेती है, तब 'क्षेत्रवाद' की समस्या जन्म लेती है ।
- केवल अपने ही क्षेत्र-विशेष के लिए विशेष सुविधाओं की इच्छा के कारण यह अवधारणा नकारात्मक बन जाती है । इससे क्षेत्र बनाम राष्ट्र की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं । क्षेत्रवाद, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि क्षेत्रवाद से ग्रस्त निवासी अपने क्षेत्र को अन्यो से विशिष्ट मानते हुए उचित-अनचित तरीके से विकास की मांग करते हैं एवं अपने क्षेत्र में आने वाले दूर से राज्यों के नागरिकों के प्रति द्वेषपूर्ण भावना रखते हैं ।

continue



- क्षेत्रवाद एक विचारधारा है जो किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित होती है जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिये जाग्रत है और अपनी पृथकता को बनाए रखने का प्रयास करता रहता है।
- क्षेत्रवाद मुख्यतः चार तरीकों से व्यक्त किया जाता है-
- किसी क्षेत्र द्वारा भारतीय संघ से संबंध विच्छेद करने की मांग द्वारा ।
- एक निश्चित क्षेत्र को पृथक राज्य बनाने की मांग द्वारा ।
- किसी क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग द्वारा।
- अंतर्राज्यीय मसलों में अपने पक्ष में समाधान पाने की मांग द्वारा, जैसे- प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार आदि।

भारत में क्षेत्रवाद के आधार



- **भाषाई पहचान** – स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण समुदायों द्वारा अपनी अलग भाषाई पहचान स्थापित करने की मांग के चलते किया गया था।
- **असंतुलित विकास-** भारत में राज्यों के बीच और राज्यों के अंदर भी विकास-प्रक्रिया में विषमता विद्यमान है। एक ओर जहाँ रोजगार की तलाश में मंबई आए उत्तर प्रदेश, बिहार के कामगारों को मराठी क्षेत्रवाद का सामना करना पड़ता है, वहीं महाराष्ट्र के अन्य इलाकों से कम विकसित होने के कारण ही विदर्भ में अलग राज्य की मांग उठती रहती है।
- **ऐतिहासिक दावे-** इतिहास क्षेत्रों की पहचान निर्धारित करने में विशेष भूमिका निभाता है। वर्तमान में पूर्वोत्तर में नए राज्य “नगालिम” या ग्रेटर नागालैंड की मांग ऐसे ही ऐतिहासिक दावे पर आधारित है।
- **नृजातीय पहचान** – विभिन्न जनजातीय समूहों द्वारा अपनी नृजातीय पहचान को सुरक्षित बनाए रखने के प्रयास भी क्षेत्रवाद का कारण बनते हैं, जैसे- बोडोलैंड और झारखण्ड का आंदोलन।
- **धार्मिक पहचान** – पृथक खालिस्तान की मांग अपनी धार्मिक पहचान को आधार बनाकर ही की जाती रही है।
- स्थानीय और क्षेत्रीय राजनेताओं की स्वार्थपरक राजनीति ने भी क्षेत्रवाद को पनपने में मदद की है।

भारत में क्षेत्रवाद का उदय के कारक



1. भाषा

- यह लोगों को एकीकृत करने का एक महत्वपूर्ण कारक है और भावनात्मक जुड़ाव विकसित होता है, परिणीमस्वरूप, भाषाई राज्यों की मांगें शुरू हो गईं। यद्यपि, भाषाई राज्यों की मांग की तीव्रता अब कम हो गई है, फिर भी भाषा के हित में क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ रहे हैं। इसलिए, भारत की राष्ट्रीय भाषा के निर्धारण की समस्या लंबे समय से एक मुद्दा रही है।
- भाषाई राज्यों के लिए आंदोलन: स्वतंत्रता से पहले- उड़ीसा प्रांत **मधुसदन दास** के प्रयास के कारण भाषाई आधार पर आयोजित पहला भारतीय राज्य (पूर्व-स्वतंत्रता) बन गया, जिसे उड़िया राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। स्वतंत्रता के बाद, भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य 1953 में आंध्र, मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी उत्तरी भागों से बना था।

2. धर्म



- यह क्षेत्रवाद के प्रमुख कारकों में से एक है। उदाहरण के लिए: जम्मू और कश्मीर में तीन स्वायत्त राज्यों की मांग धर्म पर आधारित है। उनकी माँगों के आधार हैं- मुस्लिम बहुल कश्मीर, हिंदू प्रभुत्व के लिए जम्मू और बौद्ध बहुल क्षेत्र लद्दाख को स्वायत्त राज्य के रूप में बनाने की मांग।

3. क्षेत्रीय संस्कृति



- भारतीय संदर्भ में ऐतिहासिक या क्षेत्रीय संस्कृति को क्षेत्रवाद का प्रमुख घटक माना जाता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक घटक क्षेत्रीयता की व्याख्या सांस्कृतिक विरासत, लोककथाओं, मिथकों, प्रतीकवाद और ऐतिहासिक परंपराओं के माध्यम से करते हैं। उत्तर-पूर्व के राज्यों को सांस्कृतिक पहलू के आधार पर बनाया गया था। आर्थिक मुद्दों के अलावा, राज्य के रूप में झारखंड के निर्माण में क्षेत्रीय संस्कृति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई (गठन दिवस: 15 नवंबर 2000)।

4. आर्थिक पिछड़ापन



- यह भारत में क्षेत्रवाद के प्रमुख कारकों में से एक है क्योंकि सामाजिक आर्थिक विकास के असमान पैटर्न ने क्षेत्रीय विषमताएं पैदा की हैं। सामाजिक आर्थिक संकेतकों के आधार पर राज्यों के वर्गीकरण और उप-वर्गीकरण ने केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी पैदा की है।
- उदाहरण के लिए: **गाडगिल फॉर्मला (संशोधित)** के तहत, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है जिससे उन्हें 90% केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। दूसरी ओर, पिछड़े राज्य जैसे बिहार को केवल 30% छूट प्राप्त है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि नियोजित विकास के तहत, कृषि, उद्योग और अन्य ढांचागत विकास के बीच अंतर क्षेत्रीयता को प्रोत्साहित करते हैं।

5. क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय



- राज्य के मामलों में केंद्र द्वारा नेतृत्व और अनुचित हस्तक्षेप के अभिजात्य चरित्र ने राज्य को क्षेत्रीय ताकतों के लिए कमजोर बना दिया है। कभी-कभी, क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करते हैं और केवल क्षेत्रीय हित को बढ़ावा देते हैं। कभी-कभी क्षेत्रवाद अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करने में मदद करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीवाईसी आदि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की श्रेणी में आते हैं।

संकीर्ण क्षेत्रीय आकांक्षाएं के राष्ट्र को दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं जैसे



- देश की अखंडता को चुनौती-क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बलवती होने की प्रक्रिया में राष्ट्र की एकता व अखंडता को गौण कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उग्र स्वरूप में तो कई बार पृथक्तावाद का भाव भी पनपने लगता है. जो राष्ट्रीय अस्मिता को चुनौती दे डालता है. क्षेत्र विशेष का संघ सरकार व उसकी नीतियों से भरोसा उठ जाता है. हमारी राष्ट्रीय राजनीति में पिछले सात दशकों का अनुभव इस संबंध में अच्छा नहीं रहा है.
- नए राज्यों की मांग
- क्षेत्रीय राजनीति एवं राजनीतिक दलों का प्राबल्य
- भूमि पुत्र की अवधारणा
- स्वयंभू नेताओं का उदय
- राष्ट्रीय कानूनों व आदेशों को चुनौती- अराजकता की स्थिति का पनपना
- अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देश की साख खराब होना- आंतरिक क्षेत्रीय समस्याओं का हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करता है. कभी मानवाधिकार के नाम पर तो कभी लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरक्षण के नाम पर अन्य राष्ट्र हमारी क्षेत्रवाद के आधार पर उठ रही मांगों की आड़ में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आलोचनाएं करते हैं.

क्षेत्रवाद की समस्या का समाधान (Resolution Of Problem Of Regionalism)



- समस्या के समाधान का उपाय उसके कारणों में निहित होता है. क्षेत्रवाद पनपने के कारणों को समाप्त करने से ही इस समस्या से छटकारा पाया जा सकता है. कुछ उपाय जिनसे हम क्षेत्रवाद की समस्या से राहत पा सकते हैं.
- **संतुलित राष्ट्रीय नीति निर्माण**— केंद्र सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह सभी क्षेत्रों के समान विकास हेतु नीति निर्माण के समय राजनीतिक भेदभाव किये बिना संतुलित व समदर्शी नीति निर्माण करे. छोटे व संसाधनों की दृष्टि से अपेक्षाकृत कमजोर क्षेत्रों/ राज्यों के विकास को भी समान प्राथमिकता दे तो धीरे धीरे वहां के निवासियों में विश्वास पैदा होता जाएगा व क्षेत्रवाद का उग्र स्वरूप शांत होगा.
- **राज्यों में स्थाई आधारभूत ढाँचागत विकास**— क्षेत्रीय भिन्नताओं में कमी लाने के लिए पिछड़े व अविकसित क्षेत्रों में सिंचाई, बिजली, यातायात व संचार के आधारभूत साधनों के विकास को प्राथमिकता देनी होगी, जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम सामने आयेंगे.

continue



- **विकास के विशेष कार्यक्रमों का परियोजनाओं के रूप में प्रारम्भ किया जाना**— यह प्रक्रिया सरकार ने प्रारम्भ कर भी दी है। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) मरु विकास कार्यक्रम (DDP) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (AADP) जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम (TADP) विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना आदि से क्षेत्रीय असंतुलन कम किया जा सकता है।
- **प्रशासनिक दृष्टि से छोटे राज्यों का गठन**— छोटे छोटे राज्यों से प्रांतीय सरकारों द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। केन्द्रीय करों के वितरण में ही हिस्सेदारी बढ़ती है।
- **सांस्कृतिक भिन्नता को एकीकरण की ताकत बनाना**— दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्रों व अन्य संप्रेषण माध्यमों द्वारा भिन्नता को ही ताकत के रूप में उभरना हमारी पहल हो। संस्कृतियों की पहचान व प्रतिष्ठा देना व उन्हें एक दूसरे के साथ साहचर्य भाव से जोड़ना एकीकरण का माध्यम हो सकती हैं।
- **भाषायी विविधता का सम्मान**—हमारा संविधान भी इन्हें मान्यता देकर विविधता को स्वीकार कर चुका है। हमें सभी प्रांतों को भाषाओं को परस्पर सम्मान देना होगा। अनुवाद का दायरा बढ़ाना होगा। विद्यालय पाठ्यक्रम में इन्हें समुचित स्थान देना होगा।

End.....



धन्यवाद

अधिक जानकारी के लिए **94566-39869** पर संपर्क करें